

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, सुलतानपुर।

पत्रांक

/जि0का0अधि0/बा0वि0परि0/विज्ञप्ति/आ0का0/2026-27

दिनांक 14, जुलाई, 2026

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ के शासनादेश संख्या-2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद सुलतानपुर के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत ऑगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय पर संविदा आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	परियोजना का नाम	आगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद का विवरण			
		अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	कुल
1	2	3	4	5	6
1	अखण्डनगर	5	1	4	10
2	बल्दीराय	16	2	2	20
3	भदैया	4	1	0	5
4	धनपतगंज	9	5	1	15
5	दोस्तपुर	5	0	0	5
6	दुर्गपुर	3	2	0	5
7	जयसिंहपुर	1	3	1	5
8	कादीपुर	7	6	1	14
9	कुरेभार	4	2	1	7
10	कुडवार	6	0	2	8
11	लम्मुआ	7	4	2	13
12	मोतिगरपुर	1	1	0	2
13	पी0पी0 कमैचा	6	1	2	9
14	सुलतानपुर शहर	1	0	0	1
योग		75	28	16	119

उपरोक्त रिक्त पदों की ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्टर, विकास भवन, सम्बंधित तहसील एवं विकास खण्ड तथा बाल विकास परियोजना कार्यालय इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा की गई है साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश-

1-विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।

2-ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी तथा अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक तक के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट तैयार होगी।

3-ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। दिनांक 01.07.2026 को आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु के सम्बन्ध में हाई स्कूल अंक पत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि मान्य होगी।

4-आगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर आवेदन हेतु उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र हेतु उसी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है।

5-चयन में उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधिव तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी।

6-विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी /सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।

7- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाओं को वरीयता प्रदान की जायेगी।

8-गरीबी रेखा से नीचे की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाएं/गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर की विधवा महिला/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला का चयन किया जायेगा।



9-उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर उरसी ग्राम रामा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाओं में से चयन किया जायेगा।

10-आय, निवास एवं जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में तहसील से आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से अभ्यर्थी के स्वयं के नाम से निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो। आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सम्बन्धी आवेदन कमांक तथा प्रमाण पत्र कमांक ऑनलाईन आवेदन में सही-सही प्रविष्ट किये जाये। गलत प्रविष्टि किये जाने पर आवेदन मान्य नहीं होगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

11-आय प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1-9-11-राज-9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

12- शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/ 3313/58-1-2025 (1917687), दिनांक 17.09.2025 के क्रम में एक आंगनवाड़ी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका के पद पर नहीं की जायेगी।

13-आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध फॉर्मेट पर ऑनलाईन व सही-सही सावधानीपूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व-हस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाईन फॉर्म में किया गया होगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख / प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/ऑकडे/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाए जायेंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। त्रुटिरहित आवेदन पत्र पोर्टल पर भरने के लिए सम्बंधित अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

14-ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 04.08.2026 होगी।

(शरद कुमार त्रिपाठी)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
सुलतानपुर।

पृष्ठांकन: C-1513 / तददिनांक:

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिलाधिकारी महोदय, सुलतानपुर।

3- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सुलतानपुर।

4- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), सुलतानपुर।

5- चयन समिति के समस्त सदस्य गण जनपद सुलतानपुर।

6- समस्त उपजिलाधिकारी, सुलतानपुर को इस आशय से प्रेषित कि विज्ञप्ति की प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चरपा कराने का कष्ट करें।

7- जिला सूचना अधिकारी सुलतानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से निशुल्क प्रकाशित कराते हुए प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।

8- समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद सुलतानपुर को इस आशय से प्रेषित कि विज्ञप्ति की प्रति विकास खण्ड कार्यालय के सूचना पटल पर चरपा कराने का कष्ट करें।

9- समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस सूचना/विज्ञप्ति को परियोजना कार्यालय के साथ-साथ सम्बंधित तहसील एवं सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के सूचना पटल पर चरपा कराएं।

10- सम्पादक, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान एवं न्यू गीतांजलि टाइम्स सुलतानपुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति सुलतानपुर संस्करण में न्यूनतम दरों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

11- सूचना पटल पर चरपा हेतु।

14/7/26
जिला कार्यक्रम अधिकारी
सुलतानपुर।